

व्यपगमन

राज्य सरकार के राजस्व, नागरिक एवं आपराधिक अथवा दंड न्यायालय के संव्यवहार अथवा लेनदेन के वार्षिक रिटर्न/ वार्षिक विवरणी, को कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) को व्यपगत जमा से संबंधित नियमों (लेखा कोड खंड-II के अनुच्छेद 127 के अधीन टी.ए. 49-प्रपत्र) के अंतर्गत, प्राप्ति रजिस्टर के शेष के साथ जांच के उपरांत, संकलित व्यपगतों के विवरण में प्रदान किया जाना है। मार्च माह हेतु व्यपगत वस्तुएँ की राशि को धन- ऋण ज्ञापन में से कटौती की जानी चाहिए। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, व्यपगत विवरण की प्राप्तियों के उपरांत उनके योगों/ कुल की जाँच की जाएगी। सरकार को यह राशि क्रेडिट करने हेतु अंतरण प्रविष्टि प्रस्तावित की जाएगी। मार्च माह हेतु धन- ऋण ज्ञापन से सही रूप से बढ़े खाते अभिलेखित किया गया है कि नहीं, इसका सत्यापन लेखा कार्यालय करेगा।

प्रति वर्ष, 30 जून तक, व्यपगत विवरणों की संपूर्ण जांच संपन्न की जानी चाहिए।